BHURI BAI

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य (2022 की आपराधिक अपील No.1972)

/

11 नवंबर, 2022

[दिनेश माहेश्वरी और सुधांशु धूलिया**,** जे**.** जे**.]**

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973:धारा 439 (2)-जमानत रद्द करने की शक्ति-आयोजितःजमानत रद्द करने की शक्ति का अत्यधिक सावधानी और सावधानी के साथ प्रयोग किया जाना चाहिए-इस तरह के रद्द करने का आदेश केवल जमानत देने से पहले अभियुक्त की ओर से किसी भी कथित अनुशासनहीनता के लिए नहीं दिया जा सकता है-पहले से दी गई जमानत अपास्त करते हुए करने के लिए बहुत ठोस और भारी परिस्थितियों या आधारों की आवश्यकता होती है-जब तक कि किसी पर्यवेक्षण घटना के आधार पर एक मजबूत मामला नहीं बनाया जाता है, जमानत देने के आदेश में हल्के से हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए-रद्द करने की परिकल्पना केवल ऐसे मामलों में की जाती है जहां अभियुक्त की स्वतंत्रता आपराधिक मामले की उचित सुनवाई की आवश्यकताओं का विरोध करने वाली होती है-तथ्यों पर, यह अभियोजन पक्ष का मामला नहीं था कि अपीलार्थी ने स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया था या उस पर लगाई गई शर्तों का उल्लंघन करते हुए किसी भी तरह से खुद को बाधित किया था, इस प्रकार।

/

/

/

अपील को अनुमति देते हुए**,** न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया **:1.1** मामले की विषम परिस्थितियों में**,** विशेष रूप से इस तथ्य के लिए कि मृतक ने एक नाबालिग बच्चे को छोड़ दिया था और अपीलार्थी के अलावा परिवार में बच्चे की देखभाल के लिए कोई भी उपलब्ध नहीं था**,** यह कहना भी उतना ही कठिन है कि अपीलार्थी

भगोड़ा या भगोड़ा रहा है जो जानबूझकर विधि की प्रक्रिया से भाग रहा था।कोविड**-19** महामारी द्वारा प्रासंगिक समय पर दी गई चुनौती भी एक ऐसा कारक है जिसे पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।इसके अलावा**,** इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि अपीलार्थी **55** वर्ष की आयु की महिला है।**[**पैरा **16] [196-**बी**.** सी**.] 1.2** प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश**,** हालांकि आसपास के सभी कारकों पर स्पष्ट नहीं था**,** लेकिन तब**,** तथ्यों को वास्तव में ध्यान में रखा गया था कि

/

/

/

190 ए.

191

पुरी बाई बनाम द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश ए

सह**-**अभियुक्त को गिरफ्तारी पूर्व जमानत दी गई थी जबकि अन्य सह**-**अभियुक्त व्यक्ति**,** अपीलार्थी के पति को नियमित जमानत दी गई थी।तथ्यों और परिस्थितियों के दिए गए समूह में**,** यदि निचली विचारण न्यायालय का समाधान हो जाता है कि अपीलकर्ता को विशिष्ट नियमों और शर्तों पर रखते हुए जमानत की रियायत दी जानी चाहिए**,** तो इस तरह से पारित आदेश में न तो कोई मौलिक त्रुटि थी और न ही कोई अन्य सामग्री कारक था जिसके लिए अपीलकर्ता को दी गई जमानत को रद्द किया जाना था।भले ही उच्च न्यायालय को अपीलार्थी को जमानत देने वाले निचली विचारण न्यायालय द्वारा इस प्रकार पारित आदेश में अपनी आपत्ति थी**,** विशेष रूप से जब अपीलार्थी की लंबे समय तक अनुपस्थिति के तथ्य को स्वीकार नहीं किया गया था**,** तब भी उच्च न्यायालय द्वारा इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता थी कि प्रयोग की जा रही शक्ति नियमित अपील या संशोधन की नहीं थी**,** बल्कि यह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा **439 (2)** के अंतर्गत जमानत को रद्द करने की थी। **[**पैरा **17,18] [196-**डी**-**जी**]**

/

/

1.3 यह सामान्य बात है कि आम तौर पर पहले से दी गई जमानत को रद्द करने के लिए बहुत ठोस और भारी परिस्थितियों या आधारों की आवश्यकता होती है।आम तौर पर**,** जब तक कि किसी भी पर्यवेक्षण घटना के आधार पर एक मजबूत मामला नहीं बनाया जाता है**,** तब तक जमानत देने के आदेश को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा **439 (2)** के अंतर्गत हल्के में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। **[**पैरा **19] [196-**जी**-**एच**]**

/

1.4 अभियोजन पक्ष का यह मामला नहीं था कि अपीलार्थी ने स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया था या उस पर लगाई गई शर्तों का उल्लंघन करते हुए किसी भी तरह से खुद के साथ दुर्व्यवहार किया था।जमानत रद्द करने की शक्ति का प्रयोग अत्यधिक सावधानी और सावधानी के साथ किया जाना चाहिए और इस तरह के रद्द करने का आदेश केवल जमानत देने से पहले अभियुक्त की ओर से किसी भी कथित अनुशासनहीनता के लिए नहीं दिया जा सकता है।दूसरे शब्दों में**,** जमानत को रद्द करने की शक्तियों से इस तरह संपर्क नहीं किया जा सकता है जैसे कि आरोपी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही हो और वास्तव में**,** ऐसे मामले में जहां जमानत पहले ही दी जा चुकी है**,** दंड प्रक्रिया संहिता की धारा **439 (2)** के अंतर्गत इसे परेशान करने की परिकल्पना केवल ऐसे मामलों में की गई है जहां आरोपी की स्वतंत्रता आपराधिक मामले की उचित सुनवाई की आवश्यकताओं का विरोध करने वाली है।वर्तमान प्रकृति के मामले में**,** मुद्दे के अति**-**विस्तार की आवश्यकता केवल एक कारण से नहीं थी कि निचली विचारण न्यायालय द्वारा जमानत देने के अपने आदेश में एक विशेष कारक नहीं बताया गया था।इस प्रकार**,** परिस्थितियों की समग्रता में**,** अपीलार्थी को दी गई जमानत आक्षेपित हुए करने वाले आदेश को अनुमोदित नहीं किया जा सकता है।द**.**

/

/

/

/

उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश को रद्द कर दिया जाता है और प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को बहाल कर दिया जाता है।**[**पैरा **20-22] [196-H; 197-A-D]**

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय:2022 की आपराधिक अपील संख्या 1972।

/

एम. सी. आर. सी. सं. 46653/21 में ग्वालियर (एम. पी.) में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ के दिनांक 10.02.2022 के निर्णय और आदेश से।

शिशिर कुमार सक्सेना, प्रवीण स्वरूप, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।यशराज सिंह बुंदेला, राजेश के. सिंह, गोपाल झा, उमेश कुमार यादव, अधिवक्ता।प्रत्यर्थियों के लिए।

/

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

दिनेश माहेश्वरी, जे.

अनुमति दी गई।

/

2. यह अपील मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा ग्वालियर पीठ अंतर्गत पारित 10.02.2022 के निर्णय और आदेश के खिलाफ निर्देशित की गई है, जो कि M.Cr.C अंतर्गत पारित किया गया था।

/

3. आक्षेपित आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जौरा, जिला मुरैना द्वारा दिनांकित 05.08.2021 आदेश में अपीलार्थी को दी गई जमानत को रद्द करने के लिए आगे बढ़ा है, जैसा कि जमानत आवेदन संख्या 357/2021 में पारित किया गया है।

/

4. संक्षेप में, मामले के प्रासंगिक पृष्ठभूमि पहलू इस प्रकार हैंः

अपीलार्थी भारतीय दंड संहिता, 1860 ('आई. पी. सी.') की धारा 34 के साथ पठित धारा 304 बी, 498 ए और दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3/4 के अंतर्गत अपराधों के लिए एफ. आई. आर. संख्या 96/2020 से उत्पन्न मामले में अभियुक्त व्यक्तियों में से एक है। आरोप यह है कि मृतक, जिसकी शादी अपीलार्थी के बेटे से हुई थी, को शादी के बाद दहेज की मांग के लिए शारीरिक और मानसिक यातना दी जा रही थी और अंततः, 11.09.2020 पर, असामान्य परिस्थितियों अंतर्गत फांसी लगाकर उसकी मृत्यु हो गई; और मृतक की लिखावट अंतर्गत एक सुसाइड नोट ए

/

/

उसके पति और ससुराल वालों को शामिल करते हुए पाया गया, जिसमें वर्तमान अपीलार्थी-सास भी शामिल थी।

5. गिरफ्तारी-पूर्व जमानत देने के लिए अपीलार्थी की प्रार्थना को सत्र न्यायालय ने 18.10.2020 पर खारिज कर दिया था।हालाँकि, इसके बाद, उच्च विचारण न्यायालय ने

मृतक की साली को 02.11.2020 पर पूर्व-गिरफ्तारी जमानत दे दी और फिर, निचली अदालत ने मृतक के बहनोई को 18.11.2020 पर पूर्व-गिरफ्तारी जमानत दे दी।यह भी देखा गया है कि अपीलार्थी की ओर से दो बार पूर्व-गिरफ्तारी जमानत लेने का प्रयास किया गया था, लेकिन इस संबंध में दायर किए गए आवेदन, M.Cr.C. नहीं. 48592/2020 और M.Cr.C. नहीं. 7199/2021, क्रमशः 11.12.2020 और 16.02.2021 पर वापस लिए जाने के रूप में खारिज कर दिए गए थे।अंततः 13.12.2020 पर आरोप पत्र दाखिल किया गया।उस समय तक, अपीलार्थी को गिरफ्तार नहीं किया गया था और आरोप पत्र में उल्लेख किया गया था कि वह फरार थी।

/

/

6. इस मामले के संबंध में, अपीलार्थी के पति को भी गिरफ्तार किया गया था, जिसे 23.11.2020 पर नियमित जमानत दी गई थी।हालाँकि, अपीलार्थी ने केवल 16.07.2021 पर आत्मसमर्पण किया; और 02.08.2021 पर एक पूरक आरोप पत्र भी दायर किया गया था।

/

7. इसके बाद, अपीलार्थी की ओर से दायर नियमित जमानत याचिका (सं. 357/2021) पर प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जौरा, जिला मुरैना द्वारा विचार किया गया और अनिवार्य रूप से दो सह-अभियुक्त व्यक्तियों को गिरफ्तारी से पहले जमानत देने और अन्य सह-अभियुक्त-अपीलार्थी के पति को नियमित जमानत देने से संबंधित तथ्यों के संदर्भ में 05.08.2021 पर अनुज्ञात गई।

/

8. जब अभिलेख इस प्रकार बना रहा, अपीलार्थी सहित सह-अभियुक्त व्यक्तियों को जमानत देने के साथ, अपीलार्थी (मृतक के पति) के बेटे ने उच्च न्यायालय के समक्ष जमानत के लिए दूसरा आवेदन दायर किया, जो M.Cr.C था।उक्त आवेदन पर उच्च न्यायालय द्वारा 07.09.2021 पर विचार किया गया था और उच्च न्यायालय के समक्ष की गई दलीलों में से एक यह थी कि उक्त अभियुक्त की पिछली जमानत याचिका इस आधार पर खारिज कर दी गई थी कि उसकी माँ (वर्तमान अपीलार्थी) फरार थी।उक्त अपीलार्थी की ओर से यह तर्क देने की मांग की गई थी कि उसकी माँ ने 16.07.2021 पर आत्मसमर्पण कर दिया था और उसे उपरोक्त आदेश दिनांक 05.08.2021 द्वारा जमानत दे दी गई थी।

/

/

9. उच्च विचारण न्यायालय ने दिनांक 1 के उक्त आदेश की जांच करने के लिए आगे बढ़ना शुरू किया और उसी के खिलाफ अपवाद लिया, इस कारण से कि निचली अदालत ने एक प्रासंगिक तथ्य को स्वीकार नहीं किया था कि वर्तमान अपीलार्थी

/

194

/

[2022] 10 एस सी आर।

फरार था और केवल 16.07.2021 पर गिरफ्तार किया गया था।हालाँकि, आरोपों की प्रकृति के संदर्भ में, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी (मृतक के पति) के बेटे की जमानत याचिका को अस्वीकार करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन साथ ही, वर्तमान अपीलार्थी को कारण बताने के लिए नोटिस जारी करते हुए एक अलग मामला दर्ज करने का आदेश दिया कि 05.08.2021 दिनांकित जमानत आदेश को क्यों वापस नहीं लिया जाए।इसलिए, उक्त स्वतः संज्ञान मामला जिसमें संख्या 46653/2021 है, दर्ज किया गया और अंत में दिनांक 10.02.2022 के आक्षेपित आदेश द्वारा निर्णय लिया गया।

/

10. दिनांक 10.02.2022 के आक्षेपित आदेश में, उच्च न्यायालय ने आरोपों और इस तथ्य पर ध्यान दिया कि अपीलार्थी को केवल 16.07.2021 पर गिरफ्तार किया गया था, अर्थात मृतक की मृत्यु के लगभग दस महीने बाद और सह-अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर करने के सात महीने बाद; और वास्तव में, उसने अपने पति को जमानत मिलने के बाद ही आत्मसमर्पण किया।अपीलार्थी की ओर से उच्च न्यायालय के समक्ष एक निवेदन किया गया कि परिवार के सभी सदस्य या तो फरार थे या जेल में थे और यह अपीलार्थी पर छोड़ दिया गया था कि वह मृतक के नाबालिग बच्चे की देखभाल करे और इसलिए, उसने अपने पति के रिहा होने के बाद ही आत्मसमर्पण किया, जब वह बच्चे को उसे सौंप सकती थी।उच्च न्यायालय इस निवेदन से इस कारण प्रभावित नहीं हुआ कि जमानत की मांग करने वाले आवेदन में ऐसा कोई तथ्य नहीं था, जैसा कि सत्र न्यायालय के समक्ष दायर किया गया था।

/

/

11. उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश में इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि नोटिस की सेवा सुनिश्चित करने के लिए उसके निर्देशों का पर्याप्त रूप से पालन नहीं किया गया था और फिर, आवश्यक स्पष्टीकरण भी सामने नहीं आ रहा था और इसलिए, पुलिस महानिदेशक को स्पष्टीकरण का अपना शपथपत्र दाखिल करने की आवश्यकता थी।उच्च न्यायालय ने मामले में

उठाए गए कदमों और प्रशासनिक पक्ष पर उठाए जा रहे अन्य सुधारात्मक कदमों के संबंध में पुलिस महानिदेशक द्वारा दायर शपथपत्र की सभी सामग्री को पुनः प्रस्तुत किया।12. विभाग में सुधारात्मक कदम उठाने के लिए मामले में विद्वान महाधिवक्ता द्वारा दिए गए आश्वासन पर ध्यान देने के बाद, उच्च न्यायालय ने वर्तमान मामले के तथ्यों पर ध्यान दिया और जमानत देने के लिए शक्ति के प्रयोग के मानदंडों के संबंध में मनोज कुमार खोखर बनाम राजस्थान राज्य (आपराधिक अपील No.36/2022) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय का उल्लेख किया। उक्त निर्णय के कुछ अंशों को पुनः प्रस्तुत करने के बाद, उच्च न्यायालय ने अपना निष्कर्ष बताया कि उक्त निर्णय के आलोक में, वर्तमान अपीलार्थी को दी गई जमानत को न्यायिक अनुमोदन की मुहर नहीं दी जा सकती है।इस प्रकार, उच्च ए

/

/

/

/

न्यायालय ने 05.08.2021 दिनांकित आदेश को दरकिनार कर दिया और इस तरह, अपीलार्थी को दी गई जमानत को रद्द कर दिया।

13. उच्च न्यायालय द्वारा इस प्रकार पारित आदेश को चुनौती देते हुए, अपीलार्थी के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि उच्च न्यायालय ने मामले पर बहुत कठोर दृष्टिकोण अपनाया है, लेकिन इस बात पर विचार नहीं किया है कि अपीलार्थी के फरार होने या विधि की प्रक्रिया से भागने का कोई प्रश्न ही नहीं था, जो तथ्यों से देखा जा सकता है कि क्रमिक रूप से, उसकी ओर से पूर्व-गिरफ्तारी जमानत की मांग करने वाले आवेदन दायर किए गए थे।यह भी प्रस्तुत किया गया है कि अपीलकर्ता उन परिस्थितियों में पहले आत्मसमर्पण नहीं कर सकता था जब परिवार के अन्य सदस्य या तो हिरासत में थे या भाग रहे थे और अपीलकर्ता मृतक द्वारा छोड़े गए नाबालिग बच्चे की देखभाल करने वाला एअंतर्गत ात्र जिम्मेदार व्यक्ति था; और यह सब कोविड-19 महामारी द्वारा उत्पन्न प्रतिकूलताओं के साथ जोड़ा गया था।विद्वान वकील प्रस्तुत करेंगे कि दी गई परिस्थितियों में, अपीलार्थी ने अपने पति को जमानत दिए जाने के बाद न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया और परिवार की व्यथित स्थिति में, पहले आत्मसमर्पण करने में उसकी चूक को भगोड़े होने का कार्य नहीं माना जा सकता था।विद्वान वकील यह भी प्रस्तुत करेंगे कि मामले की परिस्थितियों में, यहां तक कि भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 304 बी के अंतर्गत अपराधों से संबंधित आरोप भी ठोस सामग्री के समर्थन में वांछित हैं और किसी भी मामले में, जब विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को जमानत दे दी थी,

जो 55 वर्ष की आयु में बुजुर्ग महिला थी और जब मृतक के पति को छोड़कर अन्य आरोपी व्यक्तियों को भी ऐसी रियायत दी गई थी, तो पहले से दी गई जमानत को रद्द करने का कोई औचित्य नहीं था।

/

/

/

/

14. प्रत्यर्थी-राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने इन दलीलों का विधिवत विरोध किया है कि सत्र न्यायालय ने अपीलार्थी को जमानत देने में अन्याय किया था, और दी गई परिस्थितियों में, जब अपीलार्थी का पता लगाने योग्य नहीं था, तब भी जब 13.12.2020 पर पहला आरोप पत्र दाखिल किया गया था, उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण पूरी तरह से अनुचित नहीं कहा जा सकता है ताकि हस्तक्षेप का आह्वान किया जा सके, विशेष रूप से आरोपों की प्रकृति को देखते हुए।यह प्रस्तुत किया गया है कि निचली अदालत ने रिकॉर्ड पर सामग्री पर विचार किए बिना अपीलार्थी को यांत्रिक तरीके से जमानत दे दी थी और इसलिए, निचली अदालत द्वारा इस तरह से पारित आदेश को अस्वीकार करने में उच्च विचारण न्यायालय को उचित ठहराया गया है।15. हमने प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर चिंता से विचार किया है और लागू विधि के संदर्भ में रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री की जांच की है।

/

/

/

16. इस मामले में, जहां अपीलार्थी की बहू की आत्महत्या करके मृत्यु हो गई और अभिलेख पर सामग्री के संदर्भ में, भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 304 बी सहित गंभीर अपराध के लिए आरोप पत्र दायर किया गया है, अपीलार्थी की 16.07.2021 (समर्पण/गिरफ्तारी की तारीख) तक विधि की सभी प्रक्रियाओं के लिए अनुपलब्धता की सराहना नहीं की जा सकती है। हालाँकि, मामले की विषम परिस्थितियों में, विशेष रूप से इस तथ्य के लिए कि मृतक ने एक नाबालिग बच्चे को छोड़ दिया था और अपीलार्थी के अलावा परिवार में बच्चे की देखभाल के लिए कोई भी उपलब्ध नहीं था, यह कहना भी उतना ही कठिन है कि अपीलार्थी एक भगोड़ा या

भगोड़ा रहा है जो जानबूझकर विधि की प्रक्रिया से भाग रहा था।कोविड-19 महामारी द्वारा प्रासंगिक समय पर डाली गई चुनौती भी एक ऐसा कारक है जिसे पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।इसके अलावा, इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि अपीलार्थी 55 वर्ष की आयु की महिला है, विशेष रूप से जब नियमित जमानत देने के प्रश्न की जांच की जाती है।

/

/

17. प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जौरा, जिला मुरैना द्वारा पारित दिनांक 1 का आदेश, हालांकि आसपास के सभी कारकों पर स्पष्ट नहीं था, लेकिन तब तथ्यों को वास्तव में ध्यान में रखा गया कि दो सह-अभियुक्तों को गिरफ्तारी से पहले जमानत दी गई थी, जबकि अन्य सह-अभियुक्त व्यक्ति, अपीलार्थी के पति को नियमित जमानत दी गई थी।तथ्यों और परिस्थितियों के दिए गए समूह में, यदि विचारण विचारण न्यायालय का समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी को विशिष्ट नियमों और शर्तों पर रखते हुए जमानत की रियायत दी जानी चाहिए, तो इस प्रकार पारित आदेश में न तो कोई मौलिक त्रुटि थी और न ही कोई अन्य सामग्री कारक था जिसके लिए अपीलार्थी को दी गई जमानत को रद्द किया जाना था।

/

/

18. हमारे विचार में, भले ही उच्च न्यायालय को अपीलार्थी को जमानत देने वाले विचारण न्यायालय द्वारा इस प्रकार पारित आदेश में अपनी आपत्ति थी, विशेष रूप से जब अपीलार्थी की लंबे समय तक अनुपस्थिति के तथ्य को स्वीकार नहीं किया गया था, तब भी उच्च न्यायालय द्वारा इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता थी कि प्रयोग की जा रही शक्ति नियमित अपील या संशोधन की नहीं थी, बल्कि यह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 (2) के अंतर्गत जमानत को रद्द करने की थी।

/

19. यह सामान्य बात है कि आम तौर पर पहले से दी गई जमानत को रद्द करने के लिए बहुत ठोस और भारी परिस्थितियों या आधारों की आवश्यकता होती है।आम तौर पर, जब तक कि किसी भी पर्यवेक्षण घटना के आधार पर एक मजबूत मामला नहीं बनाया जाता है, तब तक जमानत देने के आदेश को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 (2) के अंतर्गत हल्के में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।

/

20. अभियोजन पक्ष का यह मामला नहीं था कि अपीलार्थी ने स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया था या ए का उल्लंघन करते हुए किसी भी तरह से खुद के साथ दुर्व्यवहार किया था।

/

197

पुरी बाई बनाम मध्य प्रदेश राज्य [दीनेश माहेश्वरी, जे.]

उस पर लगाई गई शर्तों का।हम यह देखने के लिए प्रेरित हैं कि जमानत रद्द करने की शक्ति का प्रयोग अत्यधिक सावधानी और सावधानी के साथ किया जाना चाहिए और इस तरह के रद्द करने का आदेश केवल जमानत देने से पहले आरोपी की ओर से किसी भी कथित अनुशासनहीनता के लिए नहीं दिया जा सकता है।दूसरे शब्दों में, जमानत को रद्द करने की शक्तियों से इस तरह संपर्क नहीं किया जा सकता है जैसे कि आरोपी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही हो और वास्तव में, ऐसे मामले में जहां जमानत पहले ही दी जा चुकी है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 (2) के अंतर्गत इसे परेशान करने की परिकल्पना केवल ऐसे मामलों में की गई है जहां आरोपी की स्वतंत्रता आपराधिक मामले की उचित सुनवाई की आवश्यकताओं का विरोध करने वाली है।वर्तमान प्रकृति के मामले में, हमारे विचार में, मुद्दे के अति-विस्तार की आवश्यकता केवल एक कारण से नहीं थी कि विचारण न्यायालय द्वारा जमानत देने के अपने आदेश में एक विशेष कारक नहीं बताया गया था।

/

/

21. कुल मिलाकर परिस्थितियों में, हम अपीलार्थी को दी गई जमानत आक्षेपित हुए वाले आदेश को मंजूरी देने में असमर्थ हैं।

22. तदनुसार, और उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह अपील सफल होती है और इसकी अनुमति दी जाती है; उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांकित 10.02.2022 के आक्षेपित आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है और प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जौरा, जिला मुरैना द्वारा पारित दिनांकित 05.08.2021 के आदेश को बहाल कर दिया जाता है।23. यह बिना कहे चला जाता है कि इस आदेश का विचारण विचारण न्यायालय द्वारा मामले के योग्यता पर विचार करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

/

24. सभी लंबित आवेदनों का निपटारा कर दिया गया है।

/

निधि जैन

अपील अनुज्ञात ।

/

/

/